कार्यालय सहायक कलेक्टर जयपुर-जयपुर

फर्द अहकाम

रामलाल बनाम अर्जुनलाल

न्यायालय

संख्या डीवा. 296/2016

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16-1-2023	पत्रावली ~~पत्रावली~~ प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वादी अधिवक्ता की एक पत्रावली बहस तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट "फर्द मौका तकासमा" पर सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया की जो भी हिस्सा शेष है उसका तकासमा किया जावे। पत्रावली व तहसीलदार आमेर से प्राप्त "रिपोर्ट मौका तकासमा कुर्रेजात" का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी रामलाल पुत्र कानाराम का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड बताते हुए विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। जबकि आज दिनांक को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम गोविन्दपुरा के आराजी ख०नं० 265 व 266 में प्रार्थी रामलाल पुत्र कानाराम सहखातेदार नहीं है तथा ख०नं० 267 रकबा 0.49 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 5/49 ही दर्ज रिकॉर्ड है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौका के अनुसार स्पष्ट है की प्रार्थी के	

सहायक कलेक्टर आमेर जि. जयपुर

नाम न्यायालय तहसीलदार आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

रामलाल बनाम अर्जुनलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 246/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा मय विस्तृत रूप से	हस्ताक्षर
		अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बेचान कर दिया है। मौके पर उक्त आराजी ख०नं० 267 में सड़क (डामरीकृत) बनी हुई है, तथा कॉलोनी कटी हुई है एवं प्रार्थी का हिस्सा अन्तरण से अवशेष रहना प्रतीत होता है। मुताबिक प्रकरण प्रार्थना-पत्र के प्रार्थी प्रकरणगत आराजी में अभिलिखित सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं है। वादी की बहस व रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि वादी ने मुताबिक तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का बेचान किया है। तथा मौके पर उक्त आराजी पर सड़क (डामरीकृत) व आवासीय कॉलोनी कटी हुई है। एवं प्रार्थी का हिस्सा अन्तरण से अवशेष रहना प्रतीत होना बताया है। प्रार्थी ने इस रिपोर्ट व पत्रावली के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। ना ही दौराने वाद प्रार्थी ने बेचान संबंधी कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुताबिक तहसीलदार आमेर की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर
आमेर जि. जयपुर